

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
पंचायती राज विभाग,  
उ०प्र० शासन।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2020

विषय:-प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) के संदिग्ध रोगियों के लिए आर०डब्लू०ए० इन्फास्टकचर को संगरोध (quarantine) सुविधाओं के रूप में उपयोग किए जाने के संबंध में।

महोदय,


आप अवगत है कि कोविड-19 रोग की रोकथाम एवं उसकी बचाव हेतु शासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 पर नियंत्रण किए जाने हेतु इससे प्रभावित होने की उच्च सम्भावना वाले व्यक्तियों के अवस्थापन हेतु पर्याप्त संख्या में संगरोध (quarantine) सुविधाओं/व्यवस्थाओं का होना अनिवार्य है। कोविड से प्रभावित होने वाले उच्च संभावित व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें सूखी खांसी और बुखार के साथ सांस लेने में कठिनाई हो और जिनका विदेश यात्रा तथा कोविड ग्रसित रोगी से सम्पर्क का इतिहास हो।

2- प्रदेश के गावों/शहरों/जनपदों में, इन उच्च संभावित व्यक्तियों के लिए संगरोध सुविधाओं की व्यवस्था करना परम आवश्यक है। पंचायत राज विभाग में नियंत्रणाधीन क्लब हाउस/सामान्य क्षेत्र आदि चिन्हित किए गये हैं जो संगरोध सुविधाओं के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

3- पंचायती राज विभाग के अधीन उक्त स्थानों पर अवस्थानित उच्च संभावित रोगियों में कोविड-19 के गम्भीर लक्षण विकसित होने पर उनके द्वारा कोविड हेल्पलाइन न०-18001805145 पर अथवा एम्बुलेन्स को कॉल किया जा सकता है

4- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 के प्रकोप की गम्भीरता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायती राज विभाग के क्लब हाउसेस/सामान्य क्षेत्र आदि स्थलों को मुख्य चिकित्साधिकारियों की आवश्यकतानुसार संगरोध (quarantine) सुविधाओं के रूप में उपयोग किये जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



( अमित मोहन प्रसाद )

प्रमुख सचिव

**संख्या-695(1)/पांच-5-2020, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव-प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०।
8. अधिशासी निदेशक, उ०प्र० तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



( वेद प्रकाश राय )

अनु सचिव